नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की तामी
में जारी हुए

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – **दामोदर सिंह (R.A.S.)**

अपील संख्या – **03/2020**

1.रवि कुमार, व जोगेन्द्र सिंह पुत्रान् गजाधर जाति जाटव निवासी ग्राम चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

——अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
2.सरपंच, ग्राम पंचायत चिकसाना, तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

——रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अंन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दाखिला खारिज संख्या 1943 दिनांक 06.10.2018 ग्राम चिकसाना ग्राम पंचायत चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर(राज)

दिनांक – 19.02.2021

<u>आदेश</u>

1. अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.06.2020 को यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट 1956 आज्ञा सरपंच, ग्राम पंचायत चिकसाना बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1943 दिनांक 06.10.2018 इस आशय की पेश की गई है कि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण में शिव कुमार व योगेन्द्र सिंह दर्ज कर दिये है। अपीलान्ट के बाबा श्री वेदरिया वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार थे, जिनका देहान्त होने के बाद उनके बारिसान चार पुत्र करनपाल , चरनसिंह, प्रेमसिंह, गजाधर व एक पुत्री सोनदेई है, लेकिन गजाधर का देहान्त पिता वेदरिया के देहान्त से काफी पहले हो जाने के कारण गजाधर के स्थान पर, गजाधर के छः बारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ। गजाधर के वारिसान तीन पुत्र भूपसिंह, रविकुमार, जोगेन्द्रसिंह, दो पुत्री लक्ष्मी व श्रीमति व पत्नि सन्ता थे। वेदरिया के वारिसानों के हिस्सा करनपाल पुत्र वेदरिया 1/5 हिस्सा, चरनसिंह पुत्र वेदरिया 1/5 हिस्सा, प्रेमसिंह पुत्र वेदरिया 1/5 हिस्सा, सोनदेई पुत्री वेदरिया 1/5 हिस्सा एवं गजाधर का हिस्सा 1/5 के स्थान पर गजाधर के उपरोक्तानुसार छः वारिसानों का प्रत्येक का हिस्सा 1/30 के खातेदार दर्ज हुये

थे। अपीलान्ट जो विवादग्रस्त आराजी मे प्रत्येक 1/30 के हिस्सेदार थे, उनका नाम शिवकुमार व योगेन्द्र सिंह लिख दिया गया है, जो रिकॉर्ड के विरूद्ध है तथा काबिल दुरूस्ती है। अपीलान्ट को दिनांक 14.06.2020 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने पर आदेश दिनांक 06.10.2018 का पता लगा। राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत होने से अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कारण अपील जानकारी के दिवस से अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम अलग से पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 1943 दिनांक 06.10.2018 में अपीलान्ट शिवकुमार की जगह रविकुमार व योगेन्द्रसिंह की जगह जोगेन्द्रसिंह दर्ज किया जावे।

2. अपील मीमों के साथ अपीलान्ट ने नकल नामान्तरकरण संख्या 1943 दिनांक 06.10.2018,नकल जमाबन्दी संम्बत् 2068–71 खाता संख्या 554 ग्राम चिकसाना , नकल जमाबन्दी संम्बत् 2072–75 खाता संख्या 581 ग्राम चिकसाना, रविकुमार का अध्ययन प्रमाण पत्र कक्षा 03, अंकतालिका कक्षा 08,मतदाता सुची आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड,भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति जोगेन्द्रसिंह के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड,राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड,पैन कार्ड,एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति पेश की है।

3. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर तलवी रेस्पोडेन्ट की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। अपीलान्ट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस में अपनी अपील के कथनों को दोहराते हुऐ अवगत कराया की नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम शिवकुमार व योगेन्द्रसिंह लिखा दिया जबकि अपीलान्ट के सही नाम रविकुमार एवं जोगेन्द्रसिंह हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका, मतदाता सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं पेन कॉर्ड की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें अपीलान्ट का नाम रविकुमार एवं जोगेन्द्रसिंह अंकित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1943 दिनांक 06.10.2018 में अपीलान्ट का नाम शिवकुमार के स्थान पर रविकुमार एवं योगेन्द्रसिंह के स्थान पर जोगेन्द्रसिंह दर्ज किया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1943 दिनांक 06.10.18 वेदरिया पुत्र सामरे की मृत्यु होने के कारण विरासत के आधार पर योगेन्द्रसिंह पुत्र गजाधर हिस्सा 1/30 जाति जाटव साकिन चिकसाना खातेदार एवं शिवकुमार पुत्र गजाधर हिस्सा 1/30 जाति जाटव साकिन चिकसाना खातेदार दर्ज किया गया है। नामान्तकरण के आधार पर ही जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 ग्राम चिकसाना के खाता संख्या नं. 581 में नाम योगेन्द्रसिंह, शिवकुमार दर्ज हो गया है।

5. रवि कुमार की साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड भामाशाह कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 8 वीं की बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका में रवि कुमार पुत्र गजाधर अंकित है। जोगेन्द्र सिंह की साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में जोगेन्द्र सिंह पुत्र गजाधर दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का सही नाम रवि कुमार एवं जोगेन्द्र सिंह है। नामान्तरकरण में रवि कुमार एवं जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर शिवकुमार एवं योगेन्द्र सिंह गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट को बिना सुने हुऐ नामान्तरकरण पर आज्ञा पारित की गई है। नामान्तरकरण पर पारित आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत चिकसाना निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण की पुनः निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रति प्रेषित किये जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण नं. 1943 दिनांक 06.10.2018 ग्राम चिकसाना ग्राम पंचायत चिकसाना की आज्ञा निरस्त की जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को पूरा सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः नियमानुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पालना हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर